रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 अप्रैल, 1986/6 वैशाख, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग (अनुवाद कक्ष)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं० डी० एल० आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन-6/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की

951-राजपत्र/86-26-4-86—1,190. मूल्य: 20 पैसे ।

धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव असैम्बली मैम्बर्ज (रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1971 के अधि-प्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेग ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 7)

(20 अक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 अप्रैल, 1971)

भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कुछ लाभ के पदों को, उनके धारकों को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न करने वाला घोषित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धन राशि अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा किसी पद के धारक को उस पद के कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आसीन भत्ता, वाहन भत्ता या गृह किराया भत्ता के रूप में संदेय अवधारित की जाए ;

(ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या अन्य व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं ;

(ग) "अकानूनी निकाय" से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है ।

हिमाचल प्रदेश की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हताओं का हटाना ।

3. कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर निरर्हत नहीं होगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पदों में से किसी का धारक है :—

(क) उप-मन्त्री या राज्य मन्त्री का पद ;

(ख) किसी मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप-मन्त्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से धारित पद ;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा या संसद या किसी अन्य राज्य की विधान

सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

(घ) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का पद ;

(ङ) किसी विधान सभा में या संसद में मुख्य सचेतक, उप-मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ;

(च) ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसका नाम लम्बरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख हो या कोई अन्य नाम हो, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व का संग्रह करना है और जिसका पारिश्रमिक उसके द्वारा संग्रहीत भू-राजस्व की रकम में से अंश के रूप में या उस पर कमीशन के रूप में दिया जाता है किन्तु जो कोई पुलिस कृत्य नहीं करता है ;

(छ) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना में कोई पद ;

(ज) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद ;

(झ) किसी विश्वविद्यालय के अभिषद, वरिष्ट सभा, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या सभा के या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ञ) किसी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का पद ;

(ट) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा भारत से बाहर भेजे गए या हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य से बाहर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए भेजे गए किसी शिष्टमण्डल या मिशन के सदस्य का पद ;

(ठ) लोक महत्व के किसी विषय की बाबत सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी विषय में जांच करने या उस की बाबत आंकड़े संग्रहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से स्थापित किसी समिति के (चाहे वह एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो) अध्यक्ष या सदस्य का पद ; यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

(ड) ऐसे निकाय से भिन्न, जो खण्ड (ठ) में निर्दिष्ट है किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

(ढ) सरकारी प्रबन्ध के अधीन किसी अस्पताल में अवैतनिक स्वास्थ्य अधिकारी या अवैतनिक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी का पद ;

(ण) अपनी सेवा पेंन्शन, राजनीतिक पेंन्शन या अनुदान, मनसब, पूर्व अनुदान या किसी जागीर की बाबत किसी प्रतिकर की संराशिकरण राशि, इनाम या अन्य अनुदान लेने वाला कोई व्यक्ति ;

(त) ऐसे कमीशन के लिए जो केन्द्रीय सरकार ने इस निमित निर्धारित किया हो, या बिना कमीशन के राष्ट्रीय योजना पत्रों या किन्हीं अन्य बचत पत्रों या ऐसे किसी अन्य बचत-पत्रों, या सरकारी प्रतिभूतियों का जो उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए विक्रय करने या इसके लिए अभिदान का संग्रह करने के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता का पद या इसी प्रकार का अन्य पद ;

(थ) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई किसी परीक्षा के किसी परीक्षक का पद ;

(द) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरपंच या किसी पंचायत के सदस्य का पद ; और

(घ) इस धारा के खण्ड (ठ) और (ड) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद या राज्य सरकार द्वारा गठित हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद।

अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उठे प्रश्न का अवधारण।

4. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उठे इस प्रश्न का अवधारण कि कोई पद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद है या नहीं उसी प्रकार किया जाएगा मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी तात्विक तारीखों को प्रवृत्त थे।

निरसन और व्यावृत्ति।

1971 का 4

5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अध्यादेश, 1971 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी मानों यह अधिनियम 25 जनवरी, 1971 को प्रारम्भ हो गया था।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं० डी०एल०आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन-5/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश स्टेट लैजिस्लेचर आफिसर्ज, मिनिस्टर्ज एण्ड मैम्बर्ज (मैडिकल फैसिलिटीज) ऐक्ट, 1971 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा अधिकारी, मन्त्री और सदस्य (चिकित्सा सुविधा) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 6)

(15 अक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 अप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुछ पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा की सुविधा का विस्तार करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा अधिकारी, मन्त्री और सदस्य (चिकित्सा सुविधा) अधिनियम, 1971 है।

(2) यह 25 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

चिकित्सा सुविधा।

2. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई पद तत्समय धारण करता है, अपने लिए और अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए ऐसी चिकित्सा सुविधा का हकदार होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, अर्थात् :—

(1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य का मन्त्री या उप-मन्त्री; या

(3) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य।

(2) अस्पतालों में स्थान और चिकित्सीय उपचार की बाबत सभी नियम, जो उप-धारा (1) में वर्णित अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व लागू थे, तब तक लागू रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नियम नहीं बना दिए जाते हैं।

(3) उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व

विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शिमला, 4 फरवरी, 1986

सं० डी० एल० आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन 2/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (हिमाचल प्रदेश) ऐक्ट, 1971" के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपान्तर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 3)

(20 सितम्बर, 1984 को यथाविद्यमान)

(22 अप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 है।

(2) यह धारा 6 के सिवाए, जो 20 दिसम्बर, 1963 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी, 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, —

(क) "गृह" के अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द आवास गृह और उससे अनुलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान हैं ;

(ख) किसी गृह के सम्बन्ध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय रेट और करों का तथा विद्युत और जल के प्रभारों का संदाय होगा; और

(ग) "मंत्री" से मंत्रि-परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

मंत्रियों का वेतन।

3. प्रत्येक मंत्री को प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपए की दर से वेतन, और मुख्य मंत्री को, उसके अतिरिक्त प्रति मास पांच सौ रुपए की दर से सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा।

मंत्रियों के निवास स्थान।

4. प्रत्येक मंत्री को एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, या ऐसे गृह के स्थान पर उससे प्रति मास तीन सौ रुपए से अनधिक भत्ता, जैसा सरकार प्रत्येक मामले में नियत करे, दिया जाएगा। राज्य सरकार उसे दिए गए गृह का उसे, उसके मंत्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा भी दे सकेगी।

स्पष्टीकरण:—मंत्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको निवास के लिए आवंटित गृह का मानक किराया तीन सौ रुपए प्रति मास से अधिक हो किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

वाहन भत्ता।

5. (1) प्रत्येक मंत्री एक कार का, जिसके अनुरक्षण और नोदन का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी, या उसके स्थान पर प्रति मास पांच सौ रुपए वाहन भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु मंत्री द्वारा उपयोग की जाने वाली राज्य कार के अनुरक्षण और नोदन का व्यय प्रतिमास पांच सौ रुपये की सीमा के अधीन नहीं होगा।

(2) यदि मंत्री स्वयं अपनी मोटर कार का उपयोग करता है तो वह उप-धारा (1) में उपबन्धित वाहन भत्ते के स्थान पर सरकारी व्यय पर एक चालक (शोफर) की सेवा का विकल्प कर सकेगा।

रेल द्वारा या वायुमार्ग द्वारा नि:शुल्क यात्रा।

5-क. प्रत्येक मंत्री को उसकी पदावधि के दौरान कूपन पुस्तकें प्रदान की जाएंगी जो उसे और उसकी पत्नी या पति को या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार पहले दर्जे में यात्रा करने का हकदार बनाएगा, परन्तु ऐसी यात्रा की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमीटर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु मंत्री और उसकी पत्नी या पति या उसकी देखभाल या सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उन कूपनों पर, जिनके लिए वह हकदार है, वातानुकूलित रेल सवारी डिब्बे में यात्रा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि यात्रा उसके द्वारा वायु मार्ग द्वारा की जाती है तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराए के बराबर रकम संदत्त की जाएगी और यदि उसके साथ उसकी पत्नी या पति या उसकी देखभाल या सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के दो टिकट के बराबर रकम संदत्त की जाएगी :

परन्तु यह और कि कूपन पर या वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जे के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के अधीन कुल दूरी का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10-क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 या उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 6-क के अधीन रेल या वायु मार्ग द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में की गई यात्रा की दूरी को हिसाब में लिया जाएगा। 1971 का 6 1971 का 8 1971 का 5

मंत्री द्वारा सरकारी मोटर कार के उपयोग का विधिमान्यकरण।

6. ऐसे किसी मंत्री के बारे में जिसने मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 के अधीन उसे अनुज्ञेय वाहन भत्ता 20 दिसम्बर, 1963 के पश्चात् नहीं लिया है और सरकारी मोटर कार का उपयोग किया है यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी मोटर कार का उपयोग वैसे ही किया है मानों कि उसके अनुरक्षण और नोदन का व्यय सरकार द्वारा किया गया है। 1963 का 2

मोटर कार के क्रय के लिए मंत्री को उधार दिया जाना।

7. प्रत्येक मंत्री को मोटर कार का क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे कि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधा पूर्वक और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

गृह निर्माण अग्रिम।

7-क. मंत्री को गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी।

टेलीफोन का नि:शुल्क संस्थापन।

8. (1) प्रत्येक मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थाई निवास के स्थान पर, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना उपलब्ध है, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक टेलीफोन संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टेलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार, प्रतिभूति निक्षेप और वार्षिक किराया, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय जैसे कि वे जो स्थानीय या बाह्य कालों से संबंधित है, मंत्री द्वारा संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु मंत्री द्वारा स्थानीय या बाह्य कालों पर किसी मास में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम चार सौ रुपए के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह और कि मंत्री उसे प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा का, उसके मंत्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए उपयोग कर सकेगा।

(2) वे सभी व्यय, जो मंत्री द्वारा उप-धारा (1) के अधीन संस्थापित टेलीफोन के संबंध में संदेय है, उसके द्वारा सीधे नकद संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य सरकार से देय किसी रकम में समायोजित किया जाएगा।

मंत्रियों द्वारा विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन और भत्तों का न लिया जाना।

9. इस अधिनियम के अधीन वेतन और भत्ता पाने वाला कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा उपबंधित विधि में से ऐसी सभा की अपनी सदस्यता को बाबत वेतन और भत्ते के रूप में कोई राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

वेतन, भत्ते और परिलब्धियों का आय-कर से अपवर्जित होना।

9-क. इस अधिनियम के अधीन मंत्री को संदेय वेतन और भत्ते और उसे अनुज्ञेय नि:शुल्क सुसज्जित गृह और अन्य परिलब्धियां आय-कर से अपवर्जित होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संदेय होगा।

स्पष्टीकरण: राज्य द्वारा संदेय आय-कर की रकम आय-कर के लिए निर्धारित आय की प्रथम स्लैब होगी, अर्थात इस रकम के निर्धारण में संबंधित मंत्री की आय के अन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मंत्रियों की नियुक्ति आदि की अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना।

10. यह तारीख, जिसको कि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या बना नहीं रहता है, हिमाचल प्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को मंत्री बना या बना नहीं रहा।

नियम बनाने का प्रयोक्त करने की शक्ति।

11. मंत्रियों के भत्ता और दैनिक भत्ते ऐसे नियमों के अनुसार नियंत्रित किए जाएंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए या अंगीकृत किए जाएं :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा की गई यात्राओं के सम्बन्ध में कोई मील भत्ता या यात्रा भत्ता प्रभार्य नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे नियम राज्य सरकार द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से भी बनाए जा सकेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

12. (1) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 और मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अध्यादेश, 1971 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 1963 का 2 1971 का।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम और अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाए गए या जारी किए गए कोई नियम, अधिसूचनाएं या आदेश भी हैं) इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं0 डी0एल0 आर0-अनुवाद अधिप्रमाणन 3/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश लजिसलेटिव असेम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज ऐक्ट, 1971 के अधिप्रमाणित, हिन्दी रूपान्तर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षर,
(कुलदीप चन्द सूद),
सचिव।

* हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 4)

(20 सितम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 अप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 है।

(2) यह 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, किन्तु धारा 5, 18 जनवरी, 1970 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "गृह" के अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द आवास गृह और उससे अनुलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान हैं,

(ख) किसी गृह के सम्बन्ध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय रेट और करों का तथा विद्युत और जल के प्रभारों का संदाय होगा।

अध्यक्ष का वेतन।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को पन्द्रह सौ रुपये प्रति मास की दर से वेतन संदत्त किया जाएगा और इसके अतिरिक्त उसे सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार उसे उसके अध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी।

सत्कार भत्ता।

3-क. अध्यक्ष को धारा 3 के अधीन उसको अनुज्ञेय वेतन और अन्य परिलब्धियों के अतिरिक्त चार सौ रुपये प्रति मास की दर से सत्कार भत्ता दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष का वेतन।

4. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष को एक हजार पांच सौ रुपये प्रति मास की दर से वेतन संदत्त किया जाएगा और इसके अतिरिक्त उसे सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी या उसके बदले में उसे तीन सौ रुपये प्रति मास से अनधिक ऐसा भत्ता जो राज्य सरकार नियत करे, संदत्त किया जाएगा। राज्य सरकार उसे, उसके उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने दे सकेगी।

स्पष्टीकरण: उपाध्यक्ष किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, यदि

उसको निवास के लिए आवंटित गृह का मानक किराया एक सौ पच्चास रुपये प्रतिमास से अधिक हो जाता है।

18-2-70 से 24-1-71 तक उपाध्यक्ष का वेतन।

5. उपाध्यक्ष को 18 फरवरी, 1970 से 24 जनवरी, 1971 तक सात सौ रुपये प्रतिमास की दर से वेतन संदत्त किया जाएगा और वह विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 के अधीन पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से अपने द्वारा पहले लिए गए वेतन को घटाने के पश्चात् दो सौ रुपये प्रति मास की दर से बकाया लेने का हकदार होगा। 1963

वाहन भत्ता।

6. (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक, एक कार का उपयोग करने का, जिसके अनुरक्षण और नोदन का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी या उसके बदले में पांच सौ रुपये प्रतिमास वाहन भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के उपयोग में की राज्य की कार के अनुरक्षण और नोदन के व्यय पांच सौ रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए नहीं होंगे।

(2) यदि वह अपनी मोटर कार का उपयोग करता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उप-धारा (1) में उपबन्धित वाहन भत्ते के स्थान पर सरकारी व्यय पर एक चालक की सेवाओं के लिए विकल्प दे सकेगा।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उधार का अग्रिम।

7. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को मोटर कार खरीदने के लिए प्रति संदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धनराशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे वह अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधापूर्वक और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

गृह निर्माण अग्रिम।

7-क. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह को क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धनराशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, दी जा सकेगी।

टेलीफोन की निःशुल्क स्थापना।

8. (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक, अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर या अपने स्थायी निवास स्थान पर जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे, एक टेलीफोन स्थापित कराने का, यदि ऐसे स्थान पर, ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त खर्च उपगत किए बिना उपलब्ध है, हकदार होगा, और स्थापना के स्थान को इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टेलीफोन की प्रथम स्थापना का प्रभार, प्रतिभूति-निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और सभी अन्य व्यय जैसे कि स्थानीय एवं बाह्य कालों से सम्बन्धित व्यय, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा, संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु किसी मास में स्थानीय या बाह्य कालों पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा, चार सौ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, की जाएगी :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उन्हें प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा का उपयोग उनके, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से अधिक से अधिक पन्द्रह दिन तक की अवधि तक करते रह सकेंगे।

(2) ऐसे सभी व्यय, जो उप-धारा (1) के अधीन स्थापित टेलीफोन के सम्बन्ध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय है, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सीधे नकद रूप में संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, को शोध्य किसी राशि के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा समायोजित किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

9. अध्यक्ष कोई वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा और अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1971 में यथा परिभाषित प्रतिकरात्मक भत्तों से भिन्न कोई धन प्राप्त नहीं करेगा ।

1971 का 7

यात्रा भत्ता ।

10. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यात्रा और दैनिक भत्ता ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विरचित या अंगीकृत करे :

परन्तु राज्य की कार द्वारा की गई यात्रा के लिए मीलभत्ता या यात्रा भत्ता प्रभार्य नहीं होगा ।

रेल द्वारा या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा ।

10-क. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक, को उसकी पदावधि के दौरान कूपन पुस्तकें प्रदान की जाएगी जो उसे और उसकी पत्नी या पति को या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेलवे मन्त्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार पहले दर्जे में यात्रा करने का हकदार बनाएगी, परन्तु ऐसी यात्रा की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमीटर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और उसकी पत्नी या पति या उसकी देख भाल या सहायता के लिए उनके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उन कूपनों पर, जिनके लिए वे हकदार हैं, वातानुकूलित रेल सवारी डिब्बे में यात्रा कर सकेंगे :

परन्तु यह और कि यदि यात्रा उसके द्वारा वायु मार्ग द्वारा की जाती है तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराया के बराबर रकम संदत्त की जाएगी और यदि उसके साथ उसकी पत्नी या पति या उसकी देख-भाल या सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के दो टिकटों के किराये के बराबर रकम संदत्त की जाएगी :

परन्तु यह और कि कूपन पर या वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जे के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रकम से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के अधीन कुल दूरी का अवधारण करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 5-क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के वेतन और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उप-धारा (1) या उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 6-क के अधीन रेल या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा का उपभोग करके किसी वित्तीय वर्ष में की गई यात्रा की दूरी को हिसाब में लिया जाएगा ।

1971 का 3
1971 का 8
1971 का 5

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभा के सदस्य के रूप में कोई वेतन नहीं लेंगे ।

11. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी निधि में से, जो सभा द्वारा, ऐसी सभा की उनकी सदस्यता की बाबत वेतन या भत्ता के रूप में उपबन्धित है, कोई राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे ।

वेतन, भत्तों और परिलब्धियों पर आय-कर न लगना ।

11-क. इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्तों और उन्हें अनुज्ञेय निःशुल्क सुसज्जित गृह और अन्य परिलब्धियों पर आय-कर नहीं लगेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—राज्य सरकार द्वारा संदेय आय-कर की रकम आय-कर के लिए निर्धारित आय का पहला स्लैब होगी अर्थात् इस रकम का निर्धारण करने में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आय के अन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष आदि की नियुक्ति की बाबत अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना ।

12. वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है या नहीं रहता है, हिमाचल प्रदेश राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए उस तारीख को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना या नहीं रहा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम में प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

14. (1) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 और विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अध्यादेश, 1971 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । 1963 1971

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम या अध्यादेश द्वारा या उस के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई या की गई तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाया गया या जारी किया गया कोई नियम अधिसूचना या आदेश है) इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

दिनांक 4 फरवरी, 1986

संख्या डी0 एल0 आर0 अनुवाद अधिप्रमाणन 1/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश आफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट, 1975 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षर,
(कुलदीप चन्द सूद),
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975

(1975 का अधिनियम संख्यांक 1)

(20 सितम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(20 फरवरी, 1975)

हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में हिन्दी को अंगीकृत करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह 1 जनवरी, 1975 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "हिन्दी" से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है;

(ख) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है ।

हिन्दी का राज्य की राजभाषा होना ।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की राजभाषा हिन्दी होगी ।

राज्य सरकार की उस शासकीय प्रयोजन को अधिसूचित करने की शक्ति जिसके लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

4. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, यह निदेश दे सकेगी कि हिन्दी राज्य के ऐसे शासकीय प्रयोजनों के लिए और ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रयोग की जाएगी ।

विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा ।

5. ऐसी तारीख को और से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करे :—

(क) राज्य की विधान सभा में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों और उनके प्रस्तुत किए जाने वाले सभी संशोधनों में;

(ख) राज्य की विधान सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों में;

(ग) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों में;

(घ) संविधान के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों में;

प्रयोग की जाने वाली भाषा हिन्दी होगी:

परन्तु राज्य सरकार ऊपर खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों की बाबत भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

राज्य की विधान सभा में अंग्रेजी का प्रयोग बना रहना।

6. जब तक राज्य सरकार धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदेश न दें, राज्य की विधान सभा में कार-बार के संव्यवहार के लिए राज्य की राजभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा।

राज्य में प्रयुक्त किन्हीं भाषाओं में अभ्यावेदन करने का व्यक्तियों का अधिकार।

7. इस अधिनियम की कोई बात किसी शिकायत के प्रतितोष के लिए, राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को राज्य में प्रयुक्त किसी अन्य भाषा में अभ्यावेदन देने में किसी व्यक्ति को विवर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

निरसन और व्यावृत्ति।

8. (1) पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1960, जैसा कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्र में लागू है, और हिमाचल प्रदेश लैंग्वेजिज (बिल्ज ऐण्ड ऐक्ट्स) ऐक्ट्स, 1952, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्त है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 1960 का 28 1966 का 31 1952 का 2

(2) इस अधिनियम द्वारा निरसन का प्रभाव निरसित अधिनियमों द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर या ऐसी किसी घटना पर, जो निरसित अधिनियम के परिवर्तन से हुई हो, नहीं पड़ेगा।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1986

सं0 डी0 एल0 आर0-अनुवाद अधिप्रमाणन 4/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि सैलरीज ऐण्ड अलाऊंसिज आफ डिप्टी मिनिस्टरर्ज (हिमाचल प्रदेश) ऐक्ट, 1971 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव विधि।

उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 5)

(20 सितम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(22 अप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश राज्य में उप-मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 है ।

(2) यह 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, किन्तु धारा 4, अठारह फरवरी, 1970 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और धारा 7 अठारह मार्च, 1967 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "गृह" के अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द आवास गृह और उससे अनुलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान हैं; और

(ख) किसी गृह के सम्बन्ध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय रेट और करों का तथा विद्युत और जल के प्रभारों का संदाय होगा।

उप-मंत्रियों का वेतन ।

3. प्रत्येक उप-मन्त्री को प्रति मास एक हजार चार सौ रुपये की दर से वेतन दिया जाएगा जो आय-कर से अपवर्जित होगा ।

18 फरवरी 1970 से, 24 जनवरी 1971 तक उप-मंत्रियों का वेतन ।

1963 का 2

4. प्रत्येक उप-मंत्री को 18 फरवरी, 1970 से 24 जनवरी, 1971 तक प्रति मास सात सौ रुपए की दर से वेतन संदत्त किया जाएगा और वे मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 के अधीन प्रति मास पांच सौ रुपए की दर से अपने द्वारा पहले लिए गए वेतन को घटाने के पश्चात् प्रति मास दो सौ रुपए की दर से बकाया लेने के हकदार होंगे ।

उप-मंत्रियों के निवास स्थान ।

5. प्रत्येक उप-मन्त्री अपनी पदावधि के दौरान और उसके ठीक पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि तक सुसज्जित और राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित गृह का निवास के लिए (आय-कर मुक्त) उपयोग करने का हकदार होगा या उसके स्थान पर उसे प्रतिमास एक सौ पच्चास रुपए से अनधिक का ऐसा भत्ता संदत्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार नियत करे ।

स्पष्टीकरण:—उप-मंत्री ऐसे मामले में जहां उसको निवास के लिए आवंटित गृह का मानक किराया एक सौ पचास रुपए प्रति मास से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

वाहन भत्ता। 6. (1) प्रत्येक उप-मन्त्री एक कार का, जिसके अनुरक्षण और नोदन का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी, या उसके स्थान पर प्रतिमास तीन सौ रुपए वाहन भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु उप-मन्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाली राज्य कार के अनुरक्षण और नोदन का व्यय प्रति मास तीन सौ रुपए की सीमा के अधीन नहीं होगा।

(2) यदि उप-मन्त्री अपनी स्वयं की मोटर कार का उपयोग करता है तो वह उप-धारा (1) में उपबंधित वाहन भत्ते के स्थान पर सरकारी व्यय पर एक चालक (शोफर) की सेवा का विकल्प दे सकेगा।

रेल द्वारा या वायु-मार्ग द्वारा नि:-शुल्क यात्रा। 6-क. प्रत्येक उप-मन्त्री को उसकी पदावधि के दौरान कूपन पुस्तकें प्रदान की जाएंगी जो उसे और उसकी पत्नी या पति को या उसकी देख-भाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसी भी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार पहले दर्जे में यात्रा करने का हकदार बनाएगा, परन्तु ऐसी यात्रा की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमीटर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु उप-मन्त्री और उसकी पत्नी या पति या उसकी देख-भाल या सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उन कूपनों पर, जिसके लिए वह हकदार है, वातानुकूलित रेल सवारी डिब्बे में यात्रा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि यात्रा उसके द्वारा वायु-मार्ग द्वारा की जाती है तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराए के बराबर रकम संदत्त की जाएगी और यदि उसके साथ उसकी पत्नी या पति या उसकी देखभाल या सहायता के लिए कोई अन्य व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के दो टिकट के बराबर रकम संदत्त की जाएगी :

परन्तु यह और कि कूपन पर या वायु-मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जे के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के अधीन कुल दूरी का अवधारण करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 5-क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10-क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 के अधीन रेल या वायु-मार्ग द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में की गई यात्रा की दूरी को हिसाब में लिया जाएगा। 1971 का 3 1971 का 4 1971 का 8

1963 का 2

7. ऐसे किसी उप-मन्त्री के बारे में जिसने मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 के अधीन उसे अनुज्ञेय वाहन भत्ता 18 मार्च, 1967 के पश्चात् नहीं लिया है और सरकारी मोटर कार का उपयोग किया है यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी मोटर कार का उपयोग वैसे ही किया है मानो उसके अनुरक्षण और नोदन का व्यय सरकार द्वारा किया गया हो। — उप-मंत्री द्वारा सरकारी मोटरकार के उपयोग का विधिमान्यकरण।

8. प्रत्येक उप-मन्त्री को मोटर कार का क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे कि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधापूर्वक और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके। — मोटर कार के क्रय के लिए उपमंत्री को उधार दिया जाना।

8-क. उप-मन्त्री को गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए प्रति संदेय अग्रिम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी। — गृह निर्माण अग्रिम।

9. (1) प्रत्येक उप-मन्त्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थाई निवास के स्थान पर, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक टेलीफोन संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टेलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार, प्रतिभूति-निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय जैसे कि वे जो स्थानीय या बाह्य कालों से सम्बन्धित हैं, उप-मन्त्री द्वारा संदत्त किए जाएंगे : — टेलीफोन का निःशुल्क संस्थापन।

परन्तु उप-मंत्री द्वारा स्थानीय या बाह्य कालों पर किसी मास में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम चार सौ रुपए के अधीन रहते हुए सरकार द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह और कि उप-मन्त्री उसे प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा का उसके उप-मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए उपयोग कर सकेगा।

(2) वे सभी व्यय, जो उप-मन्त्री द्वारा उप-धारा (1) के अधीन संस्थापित टेलीफोन के सम्बन्ध में देय है, उसके द्वारा सीधे नकद संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा, उसे राज्य सरकार से देय किसी रकम में से, समायोजित किया जाएगा।

9-क. इस अधिनियम के अधीन उप-मन्त्री को संदेय भत्ते और उसे अनुज्ञेय निःशुल्क सुसज्जित गृह और अन्य परिलब्धियां आय-कर से अपवर्जित होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संदेय होगा। — भत्ते और परिलब्धियों का आय-कर से अपवर्जित होना।

स्पष्टीकरण:—राज्य द्वारा संदेय आय-कर की रकम आय-कर के लिए निर्धारित आय की प्रथम स्लैब होगी, अर्थात् इस रकम के निर्धारण में सम्बन्धित उप-मन्त्री की आय के अन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप-मंत्रियों द्वारा विधान सभा के सदस्य के रूप में वेतन और भत्तों का न लिया जाना ।

10. इस अधिनियम के अधीन वेतन और भत्ता पाने वाला कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा ऐसी सभा की अपनी सदस्यता की बाबत वेतन और भत्ते के रूप में उपबंधित निधि में से कोई राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

उप-मंत्रियों की नियुक्ति आदि की अधिसूचना का उसका निश्चायक साक्ष्य होना ।

11. वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति उप-मन्त्री बनता है या बना नहीं रहता है, हिमाचल प्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को उप-मन्त्री बना या बना नहीं रहा ।

नियम इत्यादि बनाने की शक्ति ।

12. उप-मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्ते ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए या अंगीकृत किए जाएं :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा की गई यात्राओं के सम्बन्ध में कोई मील भत्ता या यात्रा भत्ता प्रभार्य नहीं होगा ।

व्यावृत्ति

13. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 या मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अध्यादेश, 1971 के अधीन की गई या जारी की गई कोई नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, नियम जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त रहेगी, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई या जारी की गई समझी जाएगी, जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई या जारी की गई नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश या नियम द्वारा अधिक्रांत नहीं किया जाता है । 1963 का 2 1971 का 1

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।